क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नामः **Training**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): **A.9.10.1**

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): Strengthening of Existing Training Institutes/Nursing School excluding infrastructure and HR

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य में नर्सिंग कार्यक्रम को सुचारू ढंग से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से नर्सिंग स्कूलों के छात्राओं को Community Visit करने के लिए Vehicle Hire करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी नर्सिंग स्कूल की प्राचार्या/प्राचार्य को स्कूल/कार्यालय/छात्रावास के छोटे–मोटे कार्यों को करने के लिए पर्याप्त राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तत्काल राज्य में कुल 21 ए.एन.एम. तथा 6 जी. एन.एम. स्कूल पूर्व से स्थापित हैं, जिसकी सूची निम्नवत है–

Sl. No.	List of all Govt. ANM & GNM Schools
1	ANM School, Sadar Hospital Campus, Begusarai
2	ANM School, Sadar Hospital Campus, Bhagalpur
3	ANM School, Sadar Hospital Campus, Bhojpur
4	ANM School, Sadar Hospital Campus, Motihari
5	ANM School, Prabhawati Janana Hospital Gaya
6	ANM School, Sadar Hospital Campus, Hathua (Gopalganj)
7	ANM School, Sadar Hospital Campus, Katihar
8	ANM School, Sadar Hospital Campus, Kishanganj
9	ANM School, Sadar Hospital Campus, Madhubani
10	ANM School, Sadar Hospital Campus, Munger
11	ANM School, Sadar Hospital Campus, Muzaffarpur
12	ANM School, Sadar Hospital Campus, Biharsharif
13	ANM School, Sadar Hospital Campus, Barh
14	LHV School, Guru Govind Singh Hospital, Patna City
15	ANM School, Sadar Hospital Campus, Purnia
16	ANM School, Sadar Hospital Campus, Saharsa
17	ANM School, Sadar Hospital Campus, Samastipur
18	ANM School, Sadar Hospital Campus,Saran (Chhapra)
19	ANM School, Sadar Hospital Campus, Sitamarhi
20	ANM School, Sadar Hospital Campus, Vaishali (Hazipur)
21	ANM School, Sadar Hospital Campus, Betia (W. Champaran)
22	GNM School, JLNMCH Bhagalpur
23	GNM School, DMCH Darbhanga
24	GNM School, ANMMCH Gaya
25	GNM School, SKMCH Muzaffarpur
26	GNM School, NMCH Patna
27	GNM School, PMCH Patna

इकाई राशि (रू० में) :

- रू० 1,80,000/– प्रति ए.एन.एम. स्कूल।
- रू० 2,10,000/– प्रति जी.एन.एम. स्कूल।

13/7/13

वित्तीय दिशा निर्देश :

- नर्सिंग स्कूल की छात्राओं के पूरे एक वर्ष के Community Visit के लिए Hired Vehicle हेतु प्रत्येक ए.एन.एम. स्कूल को कुल रू०– 1,20,000/– की राशि तथा प्रत्येक जी.एन.एम. स्कूल को कुल रू०– 1,50,000/– की राशि दी जा रही है।
    - ए.एन.एम. स्कूल हेतु दी जानेवाली राशि संबंधित जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गई है तथा जी.एन.एम. स्कूल हेतु दी जानेवाली राशि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को आवंटित की गई है।
    - जिला स्वास्थ्य समिति एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को निदेशित है कि वे छात्राओं के Community Visit हेतु प्रशिक्षुओं की संख्या के अनुसार Vehicle Hire कर, नर्सिंग स्कूलों को उपलब्ध कराएं।
    - Community Visit में विलंब होने पर प्राचार्या भी सरकारी दर पर Vehicle Hire कर सकती हैं। ऐसा करने से पूर्व प्राचार्या/प्राचार्य को संबंधित जिले के सिविल सर्जन/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक से अनुमति लेना अनिवार्य है।
    - यदि प्राचार्या/प्राचार्य द्वारा Hire किए गए Vehicle सरकारी दर पर हैं, तो संबंधित जिले के सिविल सर्जन/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक को उक्त कार्य के लिए अनुमति देना अनिवार्य है।
    - Community Visit नर्सिंग प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम का एक अभिन्न भाग है, इसके अभाव में उनका प्रशिक्षण अधूरा रह जाता है एवं INC के Inspection के समय काफी कठिनाई होती है। अतः कार्य को प्राथमिकता देते हुए भीघ्र हीं Community Visit के लिए Vehicle Hire किया जाना अनिवार्य है। किसी भी पक्ष के कारण कार्य विलंब की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित पक्ष को अपना स्पश्टीकरण देना होगा।
    - INC नियमावली के अनुसार Community Visit के दौरान रात्रि में नर्सिंग प्रशिक्षुओं को पी.एच.सी. में ठहरने की आवश्यकता पड़ती है। प्रशिक्षुओं एवं सहायक अनुशिक्षिका बहनों के रहने एवं खाने पर होनेवाले व्यय का वहन इसी मद से किया जाएगा। लेकिन Community Visit के दौरान रात्रि में विश्राम से पूर्व संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा उस स्थान की सुरक्षा व्यवस्था की संपुश्टि किया जाना अनिवार्य होगा। सिविल सर्जन से सुरक्षा व्यवस्था की संपुश्टि प्राप्त होने के बाद हीं Community Visit के दौरान प्रशिक्षुओं को निर्दिश्ट पी.एच.सी. में रात्रि विश्राम की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षुओं के रात्रि विश्राम हेतु सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व सिविल सर्जन एवं संबंधित प्रभारी पी.एच.सी. का होगा।
- रू०– 5,000/– प्रतिमाह के दर से एक वर्श के लिए कुल राशि रू०– 60,000/– रूपये प्रत्येक नर्सिंग स्कूल की प्राचार्या को स्कूल/कार्यालय/छात्रावास के औपचारिक व्यय के लिए दी जा रही है।
    - ए.एन.एम. स्कूल को प्रदान की जानेवाली राशि संबंधित जिलों के जिला स्वास्थ्य समिति को आवंटित की गई है तथा जी एन.एम. स्कूल को प्रदान की जानेवाली राशि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को आवंटित की गई है।
    - प्राचार्या द्वारा भीघ्र हीं स्कूल के निकटतम राश्ट्रीयकृत बैंक में नर्सिंग स्कूल के नाम से प्राचार्या एवं अनुशिक्षिका बहन का संयुक्त खाता खुलवाना अनिवार्य है।
    - प्राचार्या को निदेशित है कि उनका संयुक्त खाता खुल जाने के उपरान्त वे इसकी सूचना नर्सिंग कोशांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को उपलब्ध करावें।
    - नर्सिंग स्कूलों की प्राचार्या को स्कूल/कार्यालय/छात्रावास के औपचारिक व्यय के लिए प्रतिमाह रू०– 5,000/– की दर से दी जानेवाली राशि, जिला स्वास्थ्य समिति/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल द्वारा सीधे संबंधित ए.एनएम./जी.एन.एम. स्कूल की प्राचार्या के बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाएगा।
    - उक्त राशि का खर्च प्राचार्या/प्राचार्य के संयुक्त खाते से हीं किया जाना है।
    - प्राचार्या/प्राचार्य को अपने नर्सिंग स्कूल में भीघ्र हीं एक Landline Phone लगवाना अनिवार्य है। Telephone के बिल का भुगतान उक्त राशि से किया जाएगा। अतः सभी प्राचार्या/प्राचार्य को निदेश दिया जाता है कि वे Landline Phone लगवाकर उसका नंबर नर्सिंग कोशांग को उपलब्ध करावें।
    - यह राशि नर्सिंग स्कूल एवं छात्रावास से जुड़े सभी छोटे–मोटे कार्यों यथा Day-to-day official Expense (Like Paper, pen, pencil, stamp, ink, any stationary item related to official work

13/7/13

Xpathak

etc), Telephone bill, Internet Charge, Bulb, Fuse, wire, nutbolt, scruve इत्यादि के लिए दी जा रही है।

   - छात्रावास में किए गए खर्च के ब्यौरे के साथ संबंधित सामग्री की आवश्यकता हेतु छात्राओं का लिखित आवेदन भी संलग्न होना अनिवार्य है।

- सभी संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक, नर्सिंग स्कूल से जुड़े मद का आवंटन प्रपत्र एवं वित्तीय दिशानिर्देश की छायाप्रति संबंधित नर्सिंग स्कूल की प्राचार्या/प्राचार्य को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त सभी कार्यों के संपादन की संपुश्टि District Programe Coordinator (DPC)/Consultant राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराएंगे।
- प्राचार्या/प्राचार्य, ए.एनएम./जी.एन.एम. को उपलब्ध कराये गये राशि के प्रत्येक माह के खर्च का ब्यौरा (SOE) संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराये गये राशि के खर्च का ब्यौरा (SOE) असैनिक भाल्य चिकित्सक सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति प्रत्येक तीन माह पर राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को उपलब्ध कराये गये राशि के खर्च का ब्यौरा (SOE) अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल प्रत्येक तीन माह पर राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का खर्च सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करते हुये बिहार सरकार की वित्तीय नियमावली 2005 के आलोक में की जाएगी।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम : डॉ० वाई० एन० पाठक
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (नर्सिंग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9470003829

Pathak

13/7/13